फा.सं.13035-19/2018-रा.भा.ए.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राजभाषा प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 22 नवंबर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मंत्रालय में जांच बिंदु (Check Point) स्थापित करना।

***

सचिव (उच्चतर शिक्षा) के अनुमोदन से मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुबंधों के समुचित अनुपालन के लिए निम्नलिखित जांच बिंदु स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्र.सं.	विषय	जांच बिंदु
1	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी कागजात* द्विभाषी रूप में (हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में) जारी करना सुनिश्चित करना। (* सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञाप्तियां/टिप्पणियां, संविदाएं, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर के फार्म और नोटिस (i) क्रय/विक्रय संबंधी (ii) सिविल/अन्य कार्य संबंधी, संकल्प, नियम, संसद के सदन या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज-पत्र (रिपोर्टों के अलावा), संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें जो अपने से उच्चतर कार्यालयों को भेजी गई।	हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना।	हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी
3	'क' तथा 'ख' क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना।	संबंधित सहायक/अनुभाग अधिकारी/ हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी
4	सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में करना	स्थापना अनुभाग के संबंधित अनुभाग अधिकारी
5	सरकार के आदेशों के अनुसार हिंदी भाषा/टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।	स्थापना प्रभाग
6	कंप्यूटरों पर यूनिकोड समर्थित हिंदी फांट सुनिश्चित करना।	सेवा एवं आपूर्ति अनुभाग

.../-

7	लेखन सामग्री, वाहनों आदि पर मंत्रालय का नाम तथा अन्य विवरण द्विभाषी होना।	सेवा एवं आपूर्ति अनुभाग
8	रबड़ की मोहरें द्विभाषी रूप में बनाना।	सेवा एवं आपूर्ति अनुभाग
9	**जो विज्ञापन अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में दिया जाए उसे अनिवार्यत: हिंदी भाषा में भी प्रकाशित कराया जाए।**	संबंधित ब्यूरो प्रमुख तथा सेवा एवं आपूर्ति अनुभाग
10	बैनर, साइन बोर्ड, नामपटट, संकेतक, निमंत्रण पत्र तथा प्रदर्शन सामग्री द्विभाषी रूप में तैयार करना	सभी संबंधित अनुभाग तथा सेवा एवं आपूर्ति अनुभाग
11	वेबसाइट द्विभाषी रूप में बनाना अर्थात वेबसाइट पर समस्त सामग्री द्विभाषी रूप में अपलोड करना सुनिश्चित करना।	सभी संबंधित अनुभाग तथा एनआईसी/सीएमआईएस यूनिट
12	सभी रजिस्टरों पर शीर्ष नाम तथा विवरण द्विभाषी रूप में लिखना।	सभी अनुभाग/अधिकारियों के वैयक्तिक अनुभाग
13	वेतन बिल/पर्ची द्विभाषी रूप में बनाना।	रोकड़ अनुभाग
14	बैठकों में वार्तालाप/कार्रवाई (कार्य सूची Agenda तथा कार्यवृत्त Minutes हिंदी में भी सुनिश्चित करना)।	सभी अनुभाग

इन जांच बिंदुओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संजय

(संजय कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

वितरण : -

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी ब्यूरो/प्रभाग/अनुभाग/यूनिट प्रमुख ।
2. सचिव (उच्चतर शिक्षा) के निजी सचिव,
3. सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) के निजी सचिव।
4. सी.एम.आई.एस.यूनिट को ई- ऑफिस तथा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने-अपने कार्यालयों में इसी प्रकार के जांच बिंदु स्थापित करने के अनुरोध सहित प्रेषित।
6. गार्ड फाइल।